प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00235/2025-2026 दिनांक 05/06/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/SMU/03180/2025-2026 पत्रावली संख्या:67732-आई दिनांक:1981-1982

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **शामली समाज कल्याण समिति, तालाब रोड शामली जिला शामली, शामली, 247776** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1441/1981-1982 दिनांक-01/06/1981 को दिनांक-01/06/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(SHIVANDRA KUMAR PANDEY)
E2A6A8B95A5D18A23A95B657B838103B6A06F9ED
Date: 05/06/2025 2:31:55 PM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-05/06/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

66AB 559399

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री शामली स्वास्थ्य
कल्याण समिति रेलवे बाजार रोड शामली
संशोधित नियमावली के प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ
संलग्न है, जो पंजीकृत है।

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर
12/02/2013

संशोधित – नियमावली

1. संस्था का नाम	:	**शामली समाज कल्याण समिति।**
2. संस्था के कार्यालय का पता	:	तालाब रोड, शामली
3. संस्था का कार्य क्षेत्र	:	समस्त जनपद शामली एवं जनपद मुजफ्फरनगर
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग	:	जो व्यक्ति 21 वर्ष के पूरे हो चुके हों और इस समिति के उद्देश्यों में अपनी आस्था एवं विश्वास रखते हों नियमानुसार इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। समिति के सदस्य निम्न प्रकार के होंगे –
क. आजीवन सदस्य		प्रत्येक व्यक्ति जो इस समिति को कम से कम 11,000/- रु. नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति या इससे अधिक धन को दान स्वरुप दें, वह आजीवन सदस्य बन सकता है।
ख. विशिष्ट सदस्य	:	संस्था की साधारण सभा किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों का जो इनकी राय में समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायक हो सकते हैं, कुछ अवधि के लिये अथवा समिति के आजीवन विशिष्ट सदस्य बना सकती है। किन्तु इन विशिष्ट सदस्यों को समिति के किसी चुनाव में भाग लेने या सदस्यता अथवा सम्पत्ति किसी विवादित विषय में मत देने का अधिकार नहीं होगा। विशिष्ट सदस्यों की संख्या अधिकतम तीन हो सकती है। ऐसी सदस्यता साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रदान होगी।
ग. सामान्य सदस्य		प्रत्येक व्यक्ति जो इस समिति को कम से कम एक बार में 3,000/- या इससे अधिक जो 11,000/- से कम होंगे और प्रतिवर्ष 300/- सालाना देगा, वह इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। **यदि कोई सामान्य सदस्य आजीवन सदस्य बनने के लिए (300/- रुपये सालाना शुल्क के अतिरिक्त) रुपये 8000/- और जमा कराकर 11000/- रुपये पूरे कर देता है तो उसे आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।**
5. सदस्यता की समाप्ति	:	समिति की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त समझी जायेगी :– 1. पागल हो जाने पर। 2. मृत्यु हो जाने पर। 3. न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

...... 3

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

मन्त्री
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

सहायक रजिस्ट्रार

4. समिति के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य करने पर या समिति को हानि पहुंचाने वाले कार्य करने पर।
5. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
6. शुल्क न देने पर।

6. संस्था के अंग : संस्था के निम्न दो अंग होंगे।
   क. साधारण सभा
   ख. प्रबन्धकारिणी सभा

7. साधारण सभा :

अ. गठन : समिति के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ब. बैठकें : सामान्य व विशेष साधारण सभा की वर्ष में एक बार बैठक होना आवश्यक होगा। विशेष बैठक कभी भी प्रधान अपना एजेण्डा भेज कर आयोजित कर सकता है।

स. सूचना अवधि : सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घण्टे पूर्व देना आवश्यक होगा।

द. गणपूर्ति : 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। स्थगित बैठक के लिये जा एक बार गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जा चुकी है, दोबारा गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं माना जायेगा।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : अधिवेशन की वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जायेगा जिसमें गत वर्ष का हिसाब व आगामी बजट पेश किया जायेगा। जिसकी सूचना सदस्यों के पास 15 दिन पूर्व भेज दी जायेगी।

र. साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा के सदस्य मिलकर कार्यकारिणी समिति गठित करेंगे।
   क. नियम व उपनियम बनाना व परिवर्तन करना।
   ख. चल व अचल सम्पत्ति के खरीदने का बहुमत से निर्णय लेना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

अ. गठन : समिति की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसकी पदाधिकारियों सहित कम से कम 7 व अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। इन नियमों के अर्न्तगत पहले चुनाव में प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी। इस समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :

1.	प्रधान	2.	उप प्रधान
3.	मंत्री	4.	उप मंत्री

.....4

सत्य प्रतिलिपि

Sandeep Bansal

Suman Gupta
अध्यक्ष
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

B. Bhushan
मन्त्री
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

5. कोषाध्यक्ष 6. छः सदस्य

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चुनाव साधारण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

ब. बैठकें – सामान्य व विशेष : कार्यकारिणी की सामान्य बैठक 3 मास में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी जिसके लिये सदस्यों को कम से कम 4 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान की अनुमति से विशेष बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकता है जिसकी सूचना कम से कम 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

स. सूचना अवधि : सामान्य बैठकों की सूचना 4 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना कम से कम 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

द. गणपूर्ति : 1/3 सदस्यों की उपस्थिति समिति की गणपूर्ति मानी जायेगी। किसी मिटिंग में कोरम पूरा न होने पर मिटिंग स्थगित कर दी जायेगी। पुनः स्थगित मिटिंग के पश्चात होने वाली मिटिंग में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्थगित मिटिंग में कोई नया निर्णय नहीं लिया जायेगा तथा स्थगित मिटिंग को पुनः आयोजित करने के समय का निर्णय मिटिंग में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। जिसमें उपस्थित सदस्यों में कम से कम 4 साधारण सभा के और 2 प्रबन्धकारिणी समिति के होना अनिवार्य है।

य. रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि : प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त हुये पदों की पूर्ति साधारण सभा के किसी भी सदस्य द्वारा बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा परन्तु इसका कार्यकाल 6 माह से अधिक का न होगा। इसके बाद चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य : निम्न प्रकार होंगे –

1. समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं की वार्षिक रिर्पोट साधारण सभा के समक्ष रखना होगा।
2. साधारण सभा द्वारा पारित बजट के अनुसार आय प्राप्त करना तथा व्यय करना।
3. समिति की ओर से सब प्रकार के चन्दे व दान, सदस्यता शुल्क अनुदान, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना व उसकी नियमानुसार व्यवस्था करना या विक्रय करना या व्यय करना।
4. कार्यकारिणी समिति के सदस्य या पदाधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करना व रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष अवधि के लिये करना।
5. सदस्य बनाना व त्यागपत्र स्वीकार करना और उन्हें हटाना।
6. समिति व संस्थाओं के लेखा परीक्षण करना।

...... 5

अध्यक्ष
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

मन्त्री
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

सहायक रजिस्ट्रार

7. समिति के सभी वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना उन्हें निकालना तथा उनकी सेवा शर्तों को निर्धारण करना।
8. समिति की ओर से सभी प्रकार की मुकदमेबाज़ी सम्बन्धी निर्णय लेना।
9. समिति की ओर से आय–व्यय, क्रय–विक्रय व सम्पत्ति की प्राप्ति व निर्माण आदि की बातों पर निर्णय लेना।
10. साधारण सभा की स्वीकृति हेतु उसकी ओर से कोई निर्णय लेना किन्तु इस निर्णय की स्वीकृति 3 महीने के अन्दर साधारण सभा की बैठक अवश्य बुलायी जायेगी।

ल. कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष एवं इसके अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं की कार्यकारिणी का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

क. प्रधान :

अ. बैठक की अध्यक्षता करना।
ब. बैठक की तिथि की स्वीकृति प्रदान करना तथा उन्हें निरस्त करना या स्थगित करना।
स. मंत्री अथवा प्रबन्धक के साथ (यदि आवश्यक हो) सब प्रकार की संविदाओं पर हस्ताक्षर करना।
द. बैठक की कार्यवाही स्वयं लिखना या किसी अन्य बैठक में उपस्थित किसी पदाधिकारी या सदस्य या अन्यों द्वारा लिखवाना व आगामी बैठक में स्वयं पढ़ना या किसी उपस्थित सदस्य या पदाधिकारी द्वारा पढ़वाना व उसकी पुष्टि करना।
य. विशेष बैठक बुलाना तथा उन्हें निरस्त या स्थगित करना।

ख. उप प्रधान : समिति की बैठक में प्रधान की उपस्थिति में या प्रधान के स्थान रिक्त होने पर या प्रधान के निवास स्थान से एक माह से अधिक से बाहर रहने पर या प्रधान द्वारा अपना कार्य न कर सकने की सूचना पाने पर प्रधान के सभी अधिकार व कर्तव्यों का पालन करना।

ग. मंत्री : समिति व उसकी प्रबन्धकारिणी समिति के मन्त्री प्रमुख अधिकारी होंगे तथा समिति का संचालन उनके द्वारा होगा। प्रमुख अधिकारी के अतिरिक्त इसके निम्न कार्य होंगे :–

क. समिति के लिये सभी प्रकार की राशि – दान, सदस्यता शुल्क, ऋण आदि प्राप्त करना तथा रसीद देना व हिसाब का लेखा अंकन करना। किसी समय

......6

अध्यक्ष
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

मन्त्री
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

कार्यकारिणी द्वारा निश्चित हुई राशि को अपने पास रखना, वार्षिक हिसाब, रिर्पाट तैयार करना, बजट के अनुसार व्यय करना।

ख. समिति की सभी चल व अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना, निर्माण करना, क्रय–विक्रय करना तथा इसकी व्यवस्था करना।

ग. समिति की वार्षिक रिपोर्ट, हिसाब बजट आदि बनाना व पास करवाना।

घ. समिति की साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति की साधारण बैठक बुलाना व सभी प्रकार की बैठक सदस्यता पत्र व्यवहार सम्बन्धी रिपोर्ट रखना।

घ. उप मन्त्री : मन्त्री के त्यागपत्र या मृत्यु या अन्य किसी कारण पद रिक्त होने या अन्य किसी कारणवश मन्त्री द्वारा लिखित सूचना अनुसार अपने पद का कार्य न कर सकने पर मन्त्री के सभी अधिकार व कर्तव्यो का पालन करना। शेष समय में मन्त्री के कार्यो में सहयोग करना।

ड. कोषाध्यक्ष :

क. कार्यकारिणी समिति के मन्त्री तथा प्रधान अथवा प्रबन्ध समिति के प्रधान द्वारा निर्धारित व पारित व्यय करना।

ख. समिति की राशि बैंक में जमा करवाना व उसका हिसाब रखना।

ग. प्रति तीन माह के बाद हिसाब की एक प्रति मन्त्री या प्रधान के पास भेजना या हिसाब की रोकड़ बही में मन्त्री या प्रधान के हस्ताक्षर करवाना।

घ. प्रधान या मन्त्री के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा बैंक में खाता खोलना।

10. संस्था के नियमों व नियमों में संशोधन प्रकिया : संस्था के नियम व विनियमों में संशोधन के लिये 1/3 बहुमत से किया जायेगा जिसकी सूचना समय पर कार्यालय पर कार्यालय रजिस्ट्रार लखनऊ उत्तर प्रदेश को दे दी जायेगी।

11. संस्था का कोष : संस्था द्वारा समस्त स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि व चल–अचल सम्पत्ति संस्था की कोष होगी। जिसकी रख रखाव मन्त्री व कोषाध्यक्ष की निगरानी में होगी।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण : संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष में एक बार किसी योग्य ऑडीटर के द्वारा कराया जायेगा। जिसकी

...... 7

Sandeep Bansal

Suman Gupta
अध्यक्ष
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

B. Bhalla
मन्त्री
शामली समाज कल्याण समिति (रजि०)
रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रधान अथवा मन्त्री का होगा। परन्तु यदि प्रधान व मन्त्री चाहे तो किसी भी सदस्य या पदाधिकारी अथवा किसी अन्य को इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

14. संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होंगे।

क. सदस्यता रजिस्ट्रर

ख. कार्यवाही रजिस्ट्रर

ग. स्टॉक रजिस्ट्रर

घ. उपस्थिति रजिस्ट्रर

ड. कैश बुक आदि।

15. संस्था में प्रतिबन्ध : उप सचिव 'शिक्षा' उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 2570 / 15-13-91-37 / 251 / 90 दिनांक 16 जनवरी 1992 के सन्दर्भ में संस्था में निम्न संशोधन सम्मिलित किये गये।

क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परीषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

ड. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी तथा उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र व पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

इन प्रतिबन्धों में शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्ताकरण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

21/05/12

सत्य प्रतिलिपि

Suman Gupta — अध्यक्ष, शामली समाज कल्याण समिति (रजि०) रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

B. Bhusla — मन्त्री, शामली समाज कल्याण समिति (रजि०) रेलवे तालाब रोड, शामली (मु०नगर)

Sandeep Bansal

उप रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, सहारनपुर

सहायक नि[illegible] सोसाइटीज [illegible] सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर

I-67732

संस्था का नाम शामली [illegible]

स्थान शामली

1-स्मृति पत्र नियमावली

संशोधित नियमावली

आज दिनांक 21-12-2012

जो सन 1860 के [illegible] अन्तर्गत

निबन्धित की गई

सहायक-निबन्धक समितियां

[illegible]